187/2023

26/2/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थी की ओर से राज. पैरोकार उपस्थित। प्रार्थी की ओर से निवेदन किया कि प्रार्थी पक्ष की तरफ से बयानात पेश कर रखें है और बयानात नही करवानें है। इस कारण प्रार्थीगण की बयानात बन्द की जाती है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्तें–संशोधित करने प्रार्थनापत्र पेश की गई। प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि में प्रार्थीगण के अशुद्ध नाम को शुद्ध करवानें हेतु आवेदन पेश कर रखा है,लेकिन मानवीय भूलवंश खाता संख्या 221 का प्रार्थना पत्र में अंकन करना रह गया था,जो कि प्रार्थनापत्र में जोड़ने अति आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रार्थना पत्र मे चाही गई इस्तदुआ के साथ खाता संख्या 221 की भी शुद्धि जोड़ी जाकर प्रार्थीगण का माफिक इस्तदुआ आवेदन पत्र स्वीकार किया जावे। विप्रार्थी की ओर से आपति नहीं की गई। उभयपक्ष को सुना और पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण की ओर खाता नम्बर 11,12 व 221 की जमाबंदीया आवेदन पत्र के संलग्न लगा रखा है और आवेदन पत्र में खाता संख्या 221 का अंकन नहीं कर रखा है,जो कि एक मानवीय भूलवंश लिपिकीय त्रुटि ही माना जा सकता है। जबकि प्रार्थीगण की मूल मंशा खाता संख्या 11,12 व 221 में उनके अशुद्ध नामों की दुरूस्ती चाही गई है,जो रिपोर्ट भी हो रखी है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर हस्तगत प्रार्थना पत्र के साथ खाता संख्या 221 जोड़ने के आदेश दिए जातें है। तत्पश्चात उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और बहस पर मनन किया तथा रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हैं। Signature Not Verified Digitally signed by Rajesh Kumar Date: 2024.03.03 13:50:48 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 187 / 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 294

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
1.दिलीप कुमार 2.राजेश कुमार पिसरान उम्मेदराज 3.मोहनीदेवी पत्नि उम्मेदराज जाति जैन निवासी मूंगड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरीयें तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. प्रार्थी उपस्थित।
2. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित।

आदेश

दिनांक 26/2/2024

1.संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1409 / 622 क्षेत्रफल 2.9056 हैक्टयर व खसरा संख्या 1405 / 620 क्षेत्रफल 0.3723 हैक्टयर एवं ग्राम होटलू तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 51 क्षेत्रफल 1.6592 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। विवादित भूमि में प्रार्थीगण के घरेलू बोलचाल भाषा में अशुद्व नाम इन्द्राज हो रखें है,जिसके कारण प्रार्थीगण को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि में दायर प्रविष्टि ईन्द्रमल,राजेंन्द्रकुमार व मोरा पत्नि उम्मेदमल के स्थान पर वास्तविक नाम दिलीप कुमार,राजेश कुमार पिसरान उम्मेदराज व मोहनीदेवी पत्नि उम्मेदराज दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अपने आवेदन के तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया।

3.हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1409 / 622 क्षेत्रफल 2.9056 हैक्टयर व खसरा संख्या 1405 / 620 क्षेत्रफल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 13:50:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

0.3723 हैक्टयर एवं ग्राम होटलू तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 51 क्षेत्रफल 1.6592 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। प्रार्थी के पिता उम्मेदराज का देहान्त होने पर प्रार्थीगण का वास्तविक नाम दिलीप कुमार,राजेश कुमार पिसरान उम्मेदराज व मोहनीदेवी पत्नि उम्मेदराज के स्थान घरेलू बोलचाल भाषा में इन्द्रमल,राजेन्द्रकुमार व मोरा इन्द्राज कर दिया गया,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक दिलीप कुमार,राजेश कुमार पिसरान उम्मेदराज व मोहनीदेवी पत्नि उम्मेदराज दर्ज है,लेकिन विवादित भूमि में प्रार्थीगण के अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। विवादित भूमि में प्राथीगण के वास्तविक नाम दिलीप कुमार,राजेशकुमार पिसरान उम्मेदराज व मोहनीदेवी पत्नि उम्मेदराज के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में प्रार्थीगण इन्द्रमल,राजेन्द्रकुमार पिसरान उम्मेदमल व मोरा पत्नि उम्मेदमल के स्थान पर दिलीप कुमार,राजेश कुमार पिसरान उम्मेदराज व मोहनीदेवी पत्नि उम्मेदराज दुरूस्त किए जाने के आदेश फरमायें जावें।

5.विप्रार्थी की ओर से निवेदन किया कि विवादित भूमि में प्रार्थीगण के अशुद्व नाम प्रविष्टि हो रखी है,जो शुद्व नाम प्रविष्टि रिपोर्ट अनुसार की जाती है,तो आपति नहीं है।

6.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1409/622 क्षेत्रफल 2.9056 हैक्टयर व खसरा संख्या 1405/620 क्षेत्रफल 0.3723 हैक्टयर एवं ग्राम होटलू तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 51 क्षेत्रफल 1.6592 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विवादित भूमि में प्रार्थीगण अशुद्व नाम के स्थान पर शुद्व नाम प्रविष्टि दुरूस्ती करवानें चाहतें है। विप्रार्थी की ओर से अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि में प्रार्थीगण के अशुद्व नाम प्रविष्टि हो रखें है,जबकि प्रार्थीगण के वास्तविक नाम दिलीप कुमार,राजेश कुमार पिसरान उम्मेदराज व मोहनीदेवी पत्नि उम्मेदराज है,उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित भूमि में नाम शुद्व करवानें के हकदार है। प्रार्थीगण के अन्य सरकारी दस्तावेजात यथा–दिलीपकुमार के आधारकार्ड प्रति,परिवार राशनकार्ड प्रति,वोटरकार्ड प्रति,जन आधार कार्ड प्रति,पेनकार्ड प्रति व प्रार्थीनी मोहनीदेवी के आवासीय भूमि का पटटा मिसल संख्या 52/04.5.2017 प्रति,परिवार राशनकार्ड मोहनीदेवी की प्रति, आधारकार्ड प्रति,[illegible] प्रार्थी राजेशकुमार के आधारकार्ड प्रति,पेनकार्ड,वोटरकार्ड प्रति,जनआधार कार्ड प्रति [illegible] कार्ड छायाप्रति में प्रार्थीगण के वास्तविक नाम दिलीप कुमार,राजेशकुमार पिसरान [illegible] व मोहनीदेवी पत्नि उम्मेदराज अंकन है,इससे भी प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण के विवादित भूमि में अशुद्व नाम इन्द्राज हो रखे है,जो प्रार्थीगण विवादित भूमि में शुद्व नाम इन्द्राज करवाने के हकदार है। विप्रार्थी की ओर से भी प्रार्थीगण के विवादित भूमि में अशुद्व नाम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। प्रार्थीगण अपना आवेदन–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहें है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 13:30:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि में अपनें अशुद्व नाम प्रविष्टि ईन्द्रमल,राजेंन्द्रकुमार व मोरा पत्नि उम्मेदमल के स्थान पर वास्तविक नाम दिलीप कुमार,राजेश कुमार पिसरान उम्मेदराज व मोहनीदेवी पत्नि उम्मेदराज दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1409/622 क्षेत्रफल 2.9056 हैक्टयर व खसरा संख्या 1405/620 क्षेत्रफल 0.3723 हैक्टयर एवं ग्राम होटलू तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 51 क्षेत्रफल 1.6592 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में इन्द्राज अशुद्व नाम प्रविष्टि ईन्द्रमल,राजेंन्द्रकुमार पुत्र उम्मेदमल व मोरा पत्नि उम्मेदमल के स्थान पर वास्तविक नाम दिलीप कुमार,राजेश कुमार पिसरान उम्मेदराज व मोहनीदेवी पत्नि उम्मेदराज दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 26.2.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 13:50:48 IST
Reason: SelfAttested